प्रकरण संख्याः– 559/2025

रामगोपाल पारीक बनाम दुर्गेश व अन्य

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/12/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 05.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र प्रस्तुतीकरण के उपरान्त बाद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण दिनांक 18.12.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 11.09.2025 आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.11.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 3518 दिनांक 03.11.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी के स्वयं के हस्ताक्षर है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को मोबाईल नम्बर 800561872 पर सुचित किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी स्वयं उपस्थित रहे। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 18/12/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामगोपाल पारीक पुत्र लक्ष्मी लाल पारीक जाति पारीक आयु वयस्क निवासी आलोक विद्यालय के पास, सुभाष नगर भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

—वादी

बनाम

1. दुर्गेश पुत्र देवा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कारोई खुर्द तह0 एंव जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 559/2025 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 18.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

18/12/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा